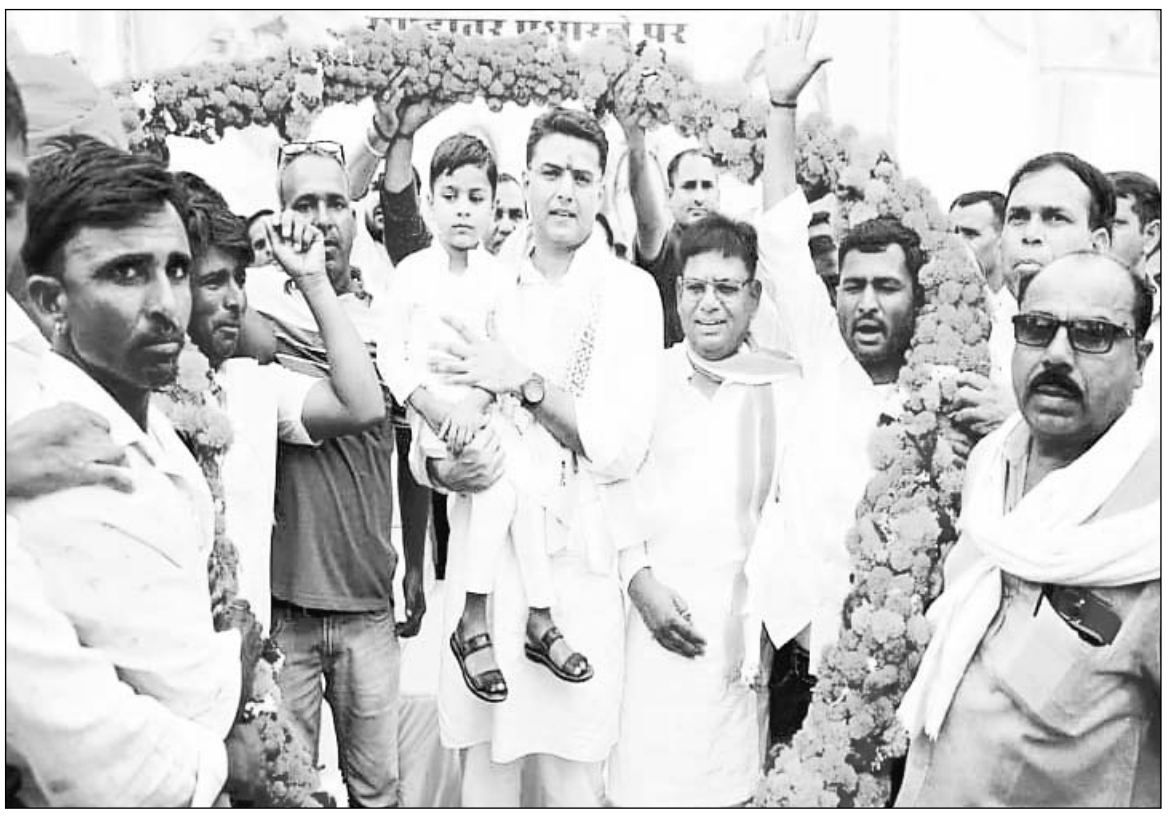

पूर्व उपमुख्यमंत्री पायलट अपने विधानसभा क्षेत्र टोंक की गाँव, ढाणियों में घूमकर जमकर पसीना बहा रहे हैं। बुधवार को पायलट ने पांच गाँवों, भांची, मण्डावरा, हथौना पराना और परोनी का दौरा किया। पायलट एक के बाद एक विभिन्न गाँवों में गए और वहाँ 13.16 करोड़ रुपये के 50 से अधिक विकास कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया।

महिला आरक्षण विधेयक लोकसभा में पारित हुआ

विधेयक के पक्ष में 454 वोट पड़े जबकि विपक्ष में मात्र दो वोट पड़े, सिर्फ ओवैसी की पार्टी के दो सांसदों ने विरोध किया

- **महिलाओं को लोकसभा एवं विधानसभाओं में आरक्षण के प्रावधान वाले ''नारी शक्ति वंदन विधेयक 2023'' को लोकसभा में दिनभर चली चर्चा के बाद मतविभाजन के लिए रखा गया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पर्ची से हुए मत विभाजन की घोषणा करते हुए कहा कि, विधेयक के पक्ष में 454 और विरोध में दो मत पड़े हैं। उन्होंने कहा कि, यह संविधान संशोधन विधेयक दो तिहाई से अधिक बहुमत से पारित हुआ है।**

नयी दिल्ली, 20 सितंबर (वार्ता)। विधायिका में महिलाओं को एक तिहाई आरक्षण देने वाले 128वें संविधान संशोधन विधेयक को लोकसभा ने बुधवार को दो तिहाई से अधिक बहुमत से पारित कर नारी सशक्तीकरण की दिशा में चिरलंबित एक ऐतिहासिक निर्णय किया।

महिलाओं को लोकसभा एवं विधानसभाओं में आरक्षण के प्रावधान वाले 'नारीशक्ति वंदन विधेयक 2023' को आज लोकसभा में दिनभर चली चर्चा के बाद मतविभाजन के लिए रखा गया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पर्ची से हुए मत विभाजन की घोषणा करते हुए कहा कि विधेयक के पक्ष में 454 और विरोध में दो मत पड़े हैं। उन्होंने कहा कि यह संविधान संशोधन विधेयक दो तिहाई से अधिक बहुमत से पारित हुआ है।

कानून मंत्री अर्जुनराम मेघवाल ने विधेयक को नये संसद भवन में कार्यवाही के पहले दिन पहले विधायी कार्य के तहत मंगलवार को सदन में पेश किया था। विधेयक पर आज दिनभर हुई चर्चा का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि इस विधेयक पर चर्चा में सभी दलों ने इसका समर्थन किया है।

चर्चा में हस्तक्षेप करते हुए केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस विधेयक को लागू करने के लिए निर्वाचन क्षेत्रों के नये परिसीमन की आवश्यकता के बारे में सदस्यों की जिज्ञासा का स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि विधेयक को लागू करने में परिसीमन आवश्यक है। शाह ने कहा विधेयक में आज कुछ कमी है तो कल इसे पूरा कर दिया जाएगा।

अमित शाह के भाषण के तुरंत बाद चर्चा का जवाब देते हुए मेघवाल ने कहा कि इस विधेयक पर सभी दल एकमत हैं। चर्चा के दौरान कुछ राजनीतिक टीका टिप्पणी की गई हैं जिनका जवाब गृह मंत्री ने दे दिया है।

विधेयक पर सदस्यों ने कुछ संशोधन रखे थे लेकिन असदुद्दीन ओवैसी के संशोधन को ध्वनिमत से खारिज कर दिया। ज्यादातर सदस्यों ने अपने संशोधन वापस ले लिए।

सचिन पायलट के टोंक दौरे में भारी भीड़ उमड़ी

पायलट ने 13.16 करोड़ रू. के विकास कार्यों का शिलान्यास व लोकार्पण किया

- **पायलट ने कहा, मैं आप लोगों को साधुवाद देने आपके बीच आया हूँ। क्योंकि जब जनता जागरूक होती है तभी विकास कार्य हो पाता है।**
- **पायलट ने महिला आरक्षण बिल पर कहा कि, यह विधेयक कांग्रेस की देन है। पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह व सोनिया गांधी ने इस बिल को आगे बढ़ाया था।**

टोंक, 20 सितम्बर(निसं)। पूर्व उप मुख्यमंत्री एवं टोंक विधायक सचिन पायलट ने बुधवार को टोंक विधानसभा क्षेत्र का दौरा किया। पायलट ने ग्रा.पं. देवली भांची, मण्डावरा, हथौना, पराना एवं बरोनी में आयोजित कार्यक्रमों में शिरकत कर ग्रामीणों एवं आमजन से संवाद किया तथा विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया और देवनारायण मंदिर, जोधपुरिया, निवाई पहुंचकर दर्शन भी किये। उसके बाद उन्होंने जोधपुरिया पधारे श्रद्धालुओं को संबोधित किया।

इस दौरान विधायक गजराज खटाना, विधायक वेद प्रकाश सोलंकी, विधायक प्रशांत बैरवा, विधायक इंद्राज गुर्जर, टोंक जिला अध्यक्ष हरी प्रसाद बैरवा, जोधपुरिया कमेटी के अध्यक्ष फूलचंद लांगडी एवं लाखों की संख्या में श्रद्धालुगण मौजूद रहे।

पायलट ने ग्रामीणों को सम्बोधित करते हुए कहा कि, आज मैं आपके बीच केवल विकास कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास करने ही नहीं आया हूं बल्कि आप लोगों को साधुवाद देने भी आया हूं, क्योंकि जब स्थानीय लोग जागरूक होंगे तभी क्षेत्र में विकास संभव होता है। आप लोगों की जागरूकता के कारण ही यहां विकास कार्य सम्पन्न हो रहे हैं। जनता के पैसों का पूरा-पूरा सदुपयोग हो, इसकी निगरानी रखने की जिम्मेदारी आप, हम सबकी है। हमारी पूरी कोशिश रही है कि टोंक की हर पंचायत हर ढाणी तक विकास कार्य हों। हमने टोंक विधानसभा क्षेत्र की 36 पंचायतों की 36 कौमों के लिए बिना पक्षपात, बिना भेदभाव के विकास कार्य किये है। उन्होंने कहा कि शिक्षा, चिकित्सा, सड़क क्षेत्र में विकास को प्राथमिकता देकर कार्य किया है।

उन्होंने कहा कि, महिला आरक्षण बिल के नाम पर प्रधानमंत्री जी वाहवाही लूटने का काम कर रहे है। पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी ने कांग्रेस शासन के समय महिला आरक्षण बिल को आगे बढ़ाने का काम किया। उन्होंने कहा कि, महिला आरक्षण बिल में संशोधन की क्या जरूरत है। भाजपा महिला आरक्षण के नाम पर वोट बटोरने का काम कर रही है। इनकी मंशा महिलाओं को आरक्षण देने की नहीं है। महिला आरक्षण बिल पर अब ये बोल रहे हैं कि 2029 में जनगणना होगी, परिसीमन होगा, उसके बाद इसे लागू करेंगे। इससे भाजपा की मंशा साफ नजर आ रही है। उन्होंने कहा कि, प्रदेश में भाजपा विपक्ष की भूमिका का निर्वहन करने में पूरी तरह से विफल रही है। साढ़े चार साल तक इनके नेताओं ने आपकी सुध नहीं ली और अब जन आक्रोश यात्रा, परिवर्तन यात्रा निकाल रहे हैं। पिछले 9 सालों से केन्द्र में भाजपा की सरकार है। प्रदेश से दो बार 25 के 25 सांसद भाजपा के चुनकर आपने दिल्ली भेजे। परन्तु वो एक भी नई योजना प्रदेश को नहीं दिलवा सकें। ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करवाने में ये पूरी तरह से नाकाम रहे।

उन्होंने कहा कि, भाजपा के पास जनता को बताने के लिए कोई काम नहीं है। वे अब आपको मंदिर, मस्जिद, धर्म, जाति के नाम पर बरगलाने की कोशिश करेंगे। परन्तु आपको सजग रहना है, अपना आपसी भाई-चारा कायम रखना है और क्षेत्र में निरन्तर हुए विकास कार्यों को देखते हुए कांग्रेस पार्टी को विजयी बनाना है। इस दौरे के दौरान सचिन पायलट ने विभिन्न जगहों पर 13.16 करोड़ रूपये के 50 से अधिक विकास कार्यों का शिलान्यास व लोकार्पण किया।

'संविधान की...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

गये'' हैं। उन्होंने भाजपा सरकार के इरादों पर संदेह जताया। उन्होंने पत्रकारों को बताया, ''नये भवन में हम संविधान की प्रस्तावना की जो प्रतियाँ अपने साथ ले गए उनमें ''धर्म निरपेक्ष'' तथा ''समाजवादी'' शब्द नहीं हैं। ये (शब्द) चालाकी से हटाये गये हैं।.....यह एक गंभीर मामला है तथा हम इस मुद्दे को उठायेंगे।'' उन्होंने आगे कहा कि, उन्हें मालूम है कि, ये शब्द संविधान में बाद में, 1976 में जोड़े गये थे।

लोकसभा में सदन के कांग्रेस के नेता ने कहा कि, अगर कोई व्यक्ति संविधान की कोई प्रति आज दे रहा है तो उसका संस्करण आज के अनुरूप ही होना चाहिये।

सी.पी.आई. (एम) के बिनॉय विस्वम ने इन दोनों शब्दों को नहीं लिए जाने को ''अपराध'' की संज्ञा दी।

सोनिया गांधी ने भी महिला आरक्षण पर दिये गये अपने भाषण में इस संगीन मुद्दे को उठाया और कहा कि, मंगलवार को सरकार द्वारा दी गई संविधान की अंग्रेजी वाली प्रतियों में संविधान की प्रस्तावना से दो शब्द, ''सोशलिस्ट'' तथा ''सैक्युलर'' गायब थे।

उन्होंने कहा, ''ये शब्द 1976 में किये गये एक अति महत्वपूर्ण, 42वें संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गये थे, क्योंकि ये मूल संविधान में नहीं थे।''

टोंक से ही चुनाव लड़ेंगे सचिन पायलट

- **पायलट ने अपने क्षेत्र की जनता से कहा, आपने मुझे पहले भी रिकॉर्ड मतों से जिताया है और आगे भी इससे ज्यादा मतों से विजयी बनाएंगे।**
- **पायलट ने महंगाई, बेरोजगारी, परिवर्तन यात्रा को लेकर भाजपा की कड़ी आलोचना की।**
- **कांग्रेस में अनुशासनहीनता पर कार्यवाही के प्रश्न पर पायलट ने कहा कि, फैसला ए.आई.सी.सी. को लेना है।**

टोंक/जयपुर, 20 सितम्बर (का.प्र.)। कांग्रेस कार्य समिति सदस्य सचिन पायलट विधानसभा चुनाव 2023 में कौन सी सीट से विधायक बनना पसंद करेंगे? यह सवाल कई दिनों से उठ रहा है, लेकिन खुद सचिन पायलट ने इस सवाल को समाप्त करते हुए स्पष्ट कर दिया है कि, वे अपनी वर्तमान विधानसभा सीट टोंक से ही चुनाव लड़ने वाले हैं।

टोंक के दौरे के दौरान सचिन पायलट ने स्पष्ट कर दिया कि, वे अपनी विधानसभा सीट बदलने वाले नहीं हैं। इस दौरान पायलट ने भाजपा पर जुबानी हमला बोलते हुए कहा कि, चुनाव आते ही भाजपा वाले राम मंदिर जाएंगे, नारियल फोड़ेंगे और राम मंदिर का उद्घाटन कर वोट मांगेंगे।

पायलट ने अपने लिए खुलकर वोट मांगते हुए कहा कि, 2018 से ज्यादा 2023 में जनता उन्हें वोट दें। सचिन ने कहा, पूरे देश की नज़र टोंक पर रहेगी। चाहे मेरे चाहने वाले हों या मेरे विरोधी, इस सीट पर केवल जीत मायने नहीं रखती है। मायने रखती है पहले से ज्यादा वोटों से जीत।

पायलट ने कहा, मेरे क्षेत्र में इत्तफाक देखिए कि, 36 ग्राम पंचायतें हैं और मुझे 36 कौम का समर्थन मिला है। आपने मुझे रिकॉर्ड मतों से पहले भी जिताया और मुझे विश्वास है कि, आगे भी उससे ज्यादा वोटों से जिताकर भिजवायेंगे। पायलट ने पांच पंचायतों के दौरे के दौरान अपने लिए खुलकर वोट मांगे।

इसके अलावा सचिन पायलट ने महंगाई, बेरोजगारी, महिला आरक्षण बिल, परिवर्तन यात्रा और ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजैक्ट को लेकर भाजपा पर निशाना साधा। वहीं, कांग्रेस में अनुशासनहीनता के मामले पर कार्रवाई के सवाल पर सचिन ने चुप्पी साध ली और कहा कि, यह फैसला ए.आई.सी.सी. को लेना है।

सीएम गहलोत के...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

लिये महाधिवक्ता के ऑफिस से स्वीकृति नहीं मिली है परंतु मुख्यमंत्री द्वारा दिये गये बयान ना केवल न्यायपालिका की कार्यप्रणाली को ''सैन्सेशनलाइज्ड'' करते हैं, बल्कि उसकी गरिमा को भी ठेस पहुंचाते हैं, इसलिये अदालत को मामले पर आपराधिक अवमानना की कार्यवाही शुरू करनी चाहिये।

उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री द्वारा न्यायपालिकाओं के संदर्भ में गैर जिम्मेदाराना बयानबाजी किये जाने के संदर्भ में दायर जनहित याचिका में मीडिया रिपोर्ट्स का हवाला देते हुए कहा गया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने न्यायपालिका के खिलाफ बयानबाजी की थी। इस परिप्रेक्ष्य में अदालत ने कहा कि वह इस बात की पुष्टि करना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री ने मीडिया को क्या बयान दिया था और क्यों किया था। इस पर प्रतिक्रिया करते हुए याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि मीडिया में मुख्यमंत्री की बयानबाजी की रिपोर्ट प्रकाशित होने के बाद स्वयं मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पर स्पष्टीकरण दिया कि उन्होंने उनकी मंशा न्यायपालिकाओं की गरिमा को ठेस पहुंचाना नहीं थी और उनकी टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीशों की टिप्पणी पर आधारित थी। याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि यह साफ जाहिर करता है कि मुख्यमंत्री ने ही अपमानजनक बयान दिये थे और अपने बयान को वापस लेने या माफी मांगने के बजाये उन्होंने पूर्व न्यायाधीशों की टिप्पणीयों की आड़ ली, जबकि यह अभद्र बयानबाजी करने का कोई समय या अवसर भी नहीं था।

उल्लेखनीय है कि गहलोत ने न्यायपालिका में गंभीर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने सुना है कि ''कोर्ट के फैसले तक वकील लिखते हैं और वे जो लिखकर लाते हैं, वहीं फैसला आता है। चाहे निचली न्यायपालिका हो या उच्च, हालात गंभीर है।''

अदालत ने मामले की सुनवाई के बाद कहा कि क्योंकि मुख्यमंत्री गहलोत को जनहित याचिका में जवाब तलब किया जा चुका है, इसलिये उक्त मामले का निस्तारण किया जाता है, परंतु आपराधिक अवमानना का विषय जैसे ही अदालत के सामने आयेगा तब याचिकाकर्ता आवेदन दायर कर पुनः मामले को दायर कर सकते हैं और अदालत मामले को सुनेगी।

यहां यह गौर फरमाने योग्य है कि गहलोत की बयानबाजी के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई तीन अक्टूबर को सूचीबद्ध है।

आरक्षण विस्तार की...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

सी.ए. सुंदरम ने कहा कि, मुख्य मुद्दा यह होगा कि, क्या आरक्षण बढ़ाने के लिए संविधान में किए गए संशोधनों ने संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन किया है।

चीफ जस्टिस डी.वाय. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान बैंच ने कहा कि, वह संविधान के 104वें संशोधन की वैधता का परीक्षण करेंगे, जिसके द्वारा लोकसभा और विधानसभाओं में अजा/जजा का कोटा और 10 साल के लिए बढ़ाया गया है।

शीर्ष कोर्ट ने स्पष्ट किया कि, वह अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लिए किए गए आरक्षण को बढ़ाने के लिए पूर्व में किए गए संशोधनों की वैधता पर नहीं जाएगा।

जस्टिस ए.एस. बोपन्ना, एम.एम. सुन्दरेश, जे.बी. पारदीवाला और मनोज मिश्रा बैंच के बाकी सदस्य हैं। बैंच ने कहा कि, 104वें संशोधन की वैधता की जांच उसी सीमा तक की जाएगी जहां तक उसका असर अनुसूचित जाति/जनजाति पर होता है, क्योंकि, एंग्लो इण्डियन्स के लिए आरक्षण संविधान लागू होने के 70 साल बाद समाप्त हो गया। कोर्ट ने कहा कि, कार्रवाई संविधान की धारा 334 के अंतर्गत होगी। इस धारा में अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए आरक्षण तथा एंग्लो इण्डियन समुदाय के लिए लोकसभा और विधानसभाओं में विशेष प्रतिनिधित्व एक समय सीमा के बाद समाप्त हो जाता है।

शीर्ष कोर्ट ने यह मामला 2 सितंबर 2003 को पांच सदस्यीय बैंच को भेजा था जिसमें 1999 में हुए संविधान के 79वें संशोधन को चुनौती दी गई थी।

लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान पुनः चांद पर चहलकदमी करेंगे

बैंगलुरु, 20 सितम्बर। इसरो अपने चंद्रयान-3 मिशन के विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर के साथ फिर से संपर्क स्थापित करने की तैयारी कर रहा है। लैंडर और रोवर को पिछले पंद्रह दिनों से स्लीप मोड में रखा गया है। हालांकि, शिव शक्ति पॉइंट पर सूरज की रोशनी आने के साथ ही उनके परिचालन स्थितियों में सुधार होने की उम्मीद है।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इसरो ने बताया कि चंद्रमा के दक्षिण ध्रुवीय क्षेत्र में चंद्रयान-3 लैंडिंग साइट पर सूर्योदय हो गया है और वे बैटरी के रिचार्ज होने का इंतजार कर रहे हैं। अधिकारियों ने बताया कि उन्हें विक्रम लैंडर और प्रज्ञान के साथ फिर से संचार स्थापित होने की उम्मीद है।

'केन्द्र में 90 सचिव...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

का बहाना नहीं बनाना चाहिये तथा जनगणना एवं परिसीमन की प्रतीक्षा किये बिना महिलाओं को यह आरक्षण तुरंत दे देना चाहिये।

उन्होंने जातिगत जनगणना की तुरंत आवश्यकता बताई ताकि देश में ओ.बी.सी. की विशाल आबादी का हिसाब सामने आ सके। लेकिन उन्हें सत्ता का हस्तांतरण (ट्रांसफर ऑफ पावर) नहीं हुआ है, जो 1947 में आजादी की प्राप्ति के साथ ही शुरू हो गया था। उन्होंने सचिव-स्तर के 90 अधिकारियों द्वारा केन्द्र सरकार के संचालन का उदाहरण दिया तथा कहा कि, उनमें केवल तीन ओ.बी.सी. अधिकारी है जिनका नियंत्रण केन्द्रीय बजट के केवल 5 प्रतिशत हिस्से पर है।

राहुल ने कहा कि, ओ.बी.सी. के प्रति किया जा रहा यह भेदभाव शीघ्राताशीघ्र खत्म किया जाना चाहिये। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने बीच में हस्तक्षेप करते हुये, उनसे कहा कि, बहस महिला आरक्षण पर है तथा वे (राहुल) विषय से हट रहे हैं। राहुल ने कहा कि, वे तो भारत की जनता को सत्ता के हस्तान्तरण पर ही बोल रहे हैं। वे महिलाओं को सत्ता का हस्तान्तरण करने के लिये मंगलवार को लाये गये विधेयक को लेकर बहुत प्रसन्न हैं। उन्होंने कहा कि पंचायती राज व्यवस्था'' में महिलाओं को दिये गये आरक्षण के जरिये महिला सशक्तीकरण की दिशा में पहल करने वाली कांग्रेस ही थी।

लोकसभा अध्यक्ष ने राहुल को कहा कि, वे ''डरो मत' की रट लगाना बंद करें। बिड़ला ने कहा कि, सदन में कोई भी भयभीत नहीं है, जैसा कि वे उस समय जताते हैं, जब भाजपा बैंचों की ओर से शोर होता है। इस पर लेकिन मजे की बात यह है कि जब कांग्रेस की बैंचों की तरफ से हो-हल्ला हुआ तो अमित शाह ने भी अपने सदस्यों से ''डरिये मत'' कहना उचित समझा।

राहुल ने कहा कि, उन्होंने ओ.बी.सी. का मुद्दा इसलिये उठाया है क्योंकि संस्थाओं में उनकी सहभागिता नगण्य है, जैसा कि, कांग्रेस द्वारा कराये गये एक शोध में सामने आया है। उन्होंने दबाव डालते हुये कहा कि, जातिगत जनगणना यथाशीघ्र कराइये, या फिर कांग्रेस द्वारा तैयार किये गये डेटा को जारी कर दीजिये, अन्यथा उन्हें (राहुल) उस डेटा को जारी करने के लिये मजबूर होना पड़ेगा।

'मैं नारी शक्ति वंदन अधिनियम...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

कुछ प्रावधानों के कारण इसको लागू करना परिसीमन और जनगणना पर निर्भर है इसलिए यह 2029 के चुनाव से पहले प्रभावी नहीं हो सकेगा।

सोनिया गांधी ने कहा, ''महिलाओं को और कितने साल इंतजार करना पड़ेगा.....दो, चार, आठ? कांग्रेस की मांग है कि इस कानून की तुरंत क्रियान्विति हो। हम अनुसूचित जाति/जनजाति और ओ.बी.सी. की महिलाओं के लिए आरक्षण की मांग करते हैं। इसमें विलंब करना महिलाओं के साथ अन्याय होगा।

अगली प्रमुख वक्ता थीं द्रमुक की कनिमोई, जिन्होंने एक संक्षिप्त लेकिन प्रभावी भाषण दिया, हालांकि उनके बोलने के लिए उठते ही उन पर छींटाकशी हुई। उन्होंने मांग की कि महिलाओं को प्रणाम करना और उनकी पूजा करना बंद कर उन्हें बराबरी का दर्जा दीजिए। उन्होंने कहा, ''हम सिर्फ मां, बहन या बीबी नहीं कहलाना चाहते। हमें बराबरी का सम्मान चाहिए।''

कनिमोई ने सरकार से पूछा कि क्या उसने सभी संबंधित पक्षकारों से सलाह-मशविरा किया जैसा उसने कहा था। उन्होंने कहा, ''मैं जानना चाहती हूँ कि क्या सर्वसम्मति बनी, क्या चर्चाएं हुईं। यह विधेयक गोपनीयता के पर्दे में लाया गया। हमें जानने का अधिकार है, यह देश हमारा हैं। संसद हमारी है।''

एन.सी.पी. सांसद सुप्रिया सुले ने इंडिया गठबंधन पर निशिकांत दुबे के तंज का जवाब देते हुए महाराष्ट्र के एक वरिष्ठ भाजपा सांसद का नाम लिया जिन्होंने कहा था, ''सुप्रिया घर जाओ, खाना बनाओ। देश कोई और चला लेगा।''

उन्होंने कहा कि, भाजपा की सोच ही ऐसी है। जब कनिमोई ने अन्नाद्रमुक की स्वर्गीय अध्यक्ष और तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता सहित मजबूत महिला नेताओं का उल्लेख किया तो सुले ने उनके समर्थन में कहा, ''शाबाश कनी बिल्कुल सही।''

स्मृति ईरानी ने सोनिया गांधी का नाम लिए बिना कांग्रेस पर यह बताने के लिए चुटकी ली कि यह विधेयक यू.पी.ए. सरकार ने 2010 में पेश किया था। उन्होंने कहा, ''वे कहते हैं कि सफलता के कई बाप होते हैं और असफलता का कोई नहीं। जब विधेयक आया तो कुछ लोगों ने इसे अपना विधेयक कहा। मंगलवार को सोनिया गांधी ने पत्रकारों के सामने इस विधेयक को अपना कहा था।

विपक्ष द्वारा इस विधेयक को 2024 के चुनाव से पहले लागू करने की मांग पर ईरानी ने पूछा कि क्या विपक्ष चाहता है कि हम संविधान की अवहेलना करें। उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि वह धर्म आधारित कोटे की मांग कर देश को गुमराह कर रही है। जबकि सोनिया गांधी ने अजा/जजा और ओ.बी.सी. की महिलाओं के लिए आरक्षण की मांग की थी।

तृणमूल कांग्रेस की कांकोली घोष ने बोलते हुए यह जानने की मांग की कि भाजपा ने अपने सांसद बृजभूषण सिंह के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की, जबकि महिला पहलवानों ने उन पर यौन शोषण के आरोप लगाए थे। उन्होंने महिला विधेयक को देर से पेश करने की आलोचना करते हुए इसे ''टॉपी में से खरगोश निकालने'' जैसा दांव बताया।

एक अन्य तृणमूल सांसद महुआ मोइत्रा इस विधेयक को ढोंग बताते हुए कहा कि यह विधेयक पारित होने के बाद में 2029 से पहले क्रियान्वित नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि विधेयक में जानबूझकर विलंब किया गया है और सरकार महिला आरक्षण विधेयक नहीं लाई है बल्कि ''महिला आरक्षण पुनर्निधारण विधेयक लाई है। इसका एजेंडा आरक्षण नहीं बल्कि विलंब है। अगला परिसीमन और जनगणना होने के बारे में असमंजस चल रहा है जिसका अर्थ है कि आरक्षण अनिश्चितकाल के लिए टल गया। यह वैसा ऐतिहासिक विधेयक नहीं हैं। जैसा प्रचार किया जा रहा है बल्कि यह ढोंग हैं। महिला आरक्षण के लिए कार्रवाई की जरूरत होती है, खाली विधायी स्वीकृति लेने की टालमटोल की नहीं।''

संसद के बाहर संवाददाताओं से बात करते हुए अकाली दल की सांसद हरसिमरत कौर ने विधेयक में परिसीमन और जनगणना वाली शर्त पर सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि एक पुरुष वर्चस्व वाली संसद ने महिलाओं को धोखा दिया है।

कौर ने कहा, ''जनगणना 2021 में होनी थी लेकिन अब 2023 समाप्त होने वाला है। हमें अभी भी यह पता नहीं कि यह कब होगी।

समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने इस बात पर जोर दिया कि अल्पसंख्यक एवं पिछड़ी जातियों की महिलाओं के हित के लिए विपक्ष की मांग मानी जानी चाहिए।

कैनेडा और भारत के बीच तनाव में चीन भी कूदा

चीन ने पश्चिम देशों, खासकर अमेरिका को लताड़ लगाई और कहा कि, दोगलेपन और पाखण्ड से सराबोर अमेरिका अपने निजी हित साधने के लिए भारत का उपयोग कर रहा है

- **ग्लोबल टाइम्स लिखता है कि, पश्चिमी देश मानवाधिकारों के रक्षक होने का दावा करते हैं और अक्सर मानवाधिकार संबंधी मुद्दों पर दूसरे देशों की आलोचना करते हैं। भारत के ''लोकतंत्र'' के लिए पश्मिी देशों की प्रशंसा मुख्य रूप से भूराजनीतिक हितों और भारत को उनके चीन विरोधी गठबंधन में शामिल करने की इच्छा से प्रेरित है।**

नई दिल्ली, 20 सितम्बर। इस साल जून महीने में, खालिस्तानी नेता और कनाडाई नागरिक हरदीप सिंह निज्जर की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। कनाडा ने हाल ही में भारत पर हत्या में शामिल होने का आरोप लगाया और एक भारतीय राजनयिक को बाहर निकाल दिया। जवाब में, भारत ने भी तुरंत घोषणा की कि उसने भारत में स्थित एक वरिष्ठ कनाडाई राजनयिक को निष्कासित कर दिया है, साथ ही कनाड़ा के आरोपों को खारिज कर दिया और उन्हें ''बेतुका और प्रेरित'' बताया। अमेरिका ने दोनों देशों के विवाद पर बयान दिया कि वह कनाड़ा के दावों से चिंतित है और भारत से जांच में सहयोग की अपेक्षा करता है। इस पूरे घटनाक्रम पर चीन ने अमेरिका को जमकर खरी-खोटी सुनाई है। चीन ने इसे भारत के साथ पश्चिमी देशों विशेषकर अमेरिका का पाखंड बताया है। कहा कि वर्तमान में भारत पश्चिम के लोगों के लिए उपयोगी है, इसलिए वे स्थिति का फायदा उठा रहे हैं।

चीन के मुखपत्र कहे जाने वाले ग्लोबल टाइम्स ने अपने आर्टिकल में लिखा है, हाल के वर्षों में, भारत और कनाड़ा के बीच विवाद कनाड़ा में सिख समुदाय के आसपास केंद्रित रहे हैं, जो मोदी सरकार का विरोध करते हैं और सिख अधिकारों की वकालत करते हैं। सिख समुदाय भारत में एक अल्पसंख्यक जातीय समूह है, जिसकी आबादी सिर्फ 20 मिलियन से अधिक है। कनाड़ा में, जो दुनिया भर में सिखों के लिए सबसे बड़ी अप्रवासी बस्तियों में से एक है, सिख समुदाय महत्वपूर्ण राजनीतिक, वाणिज्यिक और आर्थिक प्रभाव रखता है। हाल के वर्षों में अलगावादी खालिस्तान आंदोलन का पुनरुत्थान भारत और कनाड़ा के बीच विवाद का एक प्रमुख मुद्दा बन गया है।

राष्ट्रदूत (एचयूएफ) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा वतन प्रेस, एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू (राज.) से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-राजेश शर्मा, आर.एन.आई. नं. RAJHIN/2009/28296 जयपुर कार्यालय: सुधर्मा एम.आई.रोड, जयपुर। फोन: 2372634, 4103333-34, फैक्स : 0141-2373513, कोटा कार्यालय : पलायथा हाऊस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन: 2386031, 2386032,फैक्स:0744-2386033, बीकानेर कार्यालय : कुम्भाना हाऊस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन: 2200660, फैक्स 0151-2527371, उदयपुर कार्यालय: आयड मैन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, फैक्स : 0294-2410146, अजमेर कार्यालय: राष्ट्रदूत भवन, चुंगी नाका के पास, अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665, जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन226422,226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600